राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक
343/14	27.10.2014	18.09.2018

अनुवान

रामसिंह बनाम रामचन्द्र व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
व सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितिः–

1. श्रीपाल चौधरी वकील–प्रतिवादीगण/प्रार्थी
2. गंगाराम पटेल वकील–वादी/अप्रार्थी

–:: निर्णय::–

दिनांकः– 18.09.2018

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पेश हुई। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र का सारतः रहा किः–

1. उपरोक्त अनुवानी वादी अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है।
2. अदालत श्रीमान के समक्ष पूर्व में एक वाद संख्या 1066 दिनांक 25.09.1997 को गुलाब बनाम रामचन्द्र वगै0 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में विचाराधीन होकर अदालत श्रीमान द्वारा दिनांक 01.10.2001 को खारिज फरमाया जा चुका है तथा उक्त पूर्व वाद में वाद हेतुक दिनांक 16.09.1997 को पैदा हुआ था। उक्त वाद में सभी पक्षकार वादी व प्रतिवादी एक ही समान रहे है व एक समान आराजी है एवं श्रीमान न्यायालय में चल रहा उपरोक्त अनुवानी वाद में भी सभी पक्षकार व आराजी एक समान है, इसलिए वादी को उपरोक्त अनुवानी वाद हेतु दुबारा कोई वाद हेतु पैदा नहीं होता है। वादी का वाद बेरून मियाद होकर काबिल खारिज है।
3. अदालत श्रीमान के समक्ष विचाराधीन वाद में वादी द्वारा रिलीफ गोदनामा से संबंधित चाही है तथा गोदनामा से संबंधित रिलीफ का वाद अदालत श्रीमान के

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

क्षेत्राधिकार में नहीं होकर श्रवण योग्य सिविल अदालत है तथा जब तक गोदनामा सिविल न्यायालय में तय नहीं हो जाता है तब तक दावा अदालत श्रीमान को सुनने योग्य नहीं है। इसलिए वाद अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार से बाहर होकर काबिल खारिज है।

4. पूर्व वाद रामचन्द्र बनाम गुलाब संख्या 1045/97 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में चला था, जिसमें रामसिंह ने अपनी जिरह में कहा था कि जमीन साढे 14 बीघा के आस–पास है, कुल 11 खेत है, जिसमें 6 खेत रामचन्द्र जोतता है, ख0न0 1220, 1221, 1230 का 1/2 भाग, ख0न0 1322, 1246, 1307, 1306 शालिम शुरू से ही मेरे पिता लालाराम के खाते में हो वो गलत है। इस पर गुलाब वगै0 काश्त नहीं करते है। रामसिंह ने अपने बयान में यह खेत रामचन्द्र के मान लिये थे। इसलिए वाद वादी काबिल खारिज है।
5. इंतकाल संख्या 537 दर्ज ख0न0 1306 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, 1339 रकबा 10 बिस्वा का 1/2 भाग का रामचन्द्र ने बैयनामा दिनांक 07.12.1988 को रामसिंह, गुलाब, घडसी पुत्रान लालाराम निवासी जाट बहरोड को करवा दिया था। इसलिए इंतकाल संख्या 537 वादी के अधिकारों के खिलाफ नहीं है ना ही कोई वाद हेतु पैदा होता है तथा यदि इंतकाल संख्या 537 वादी के अधिकारों के खिलाफ रही है तो वादी को इंतकाल संख्या 537 की अपील करनी चाहिए थी, इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारिज है के बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

जवाब प्रार्थना पत्र में वादी/अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र का सारतः रहा किः–

1. प्रार्थना पत्र का जि0न0 1 बाबत तारीख पेशी है।
2. जि0न0 2 गलत है, स्वीकार नही। पूर्व के वाद में अलग–अलग पक्षकार, अलग–अलग आराजी अलग रिलीफ था तथा उक्त वाद में अलग रिलीफ है।
3. जि0न0 3 गलत है, स्वीकार नहीं। उक्त वाद इश्तकरारहक, दुरूस्ती बम्य हु0ई0दवामी की बाबत है तथा कोई गोदनामा तहरीर नहीं हुआ।
4. जि0न0 4 गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य दर्ज किये है।
5. जि0न0 5 गलत है, स्वीकार नही के बाबत का जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के जिम्नों को दोहराते हुये दलील दी कि उक्त प्रकरण बाबत पूर्व में उक्त आराजी के बाबत दावा संख्या 1066/97 श्रीमान न्यायालय में ही गुलाब बनाम रामचन्द्र वगै0 प्रस्तुत होकर दिनांक 1.10.2001 को खारिज फरमाया जा चुका है। साथ ही दिनांक 07.12.1988 को उक्त आराजी में से रामचन्द्र दत्तक पुत्र किशनसहाय से वादी सहित अन्य ने जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था जिसका

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

नामांतकरण संख्या 265 दिनांक 07.11.1989 को स्वीकार हो चुका है। जिसमें विवादित भूमि व वादी, प्रतिवादीगण एक ही थे। इसलिए उक्तानुसार बार–बार दावा लाने का वादी अधिकारी नहीं है इसलिए दावा खारिज फरमाया जावे। साथ ही निवेदन किया कि उक्त वाद केवल गोदनामा से संबंधित विवाद है तथा गोदनामा के बाबत जब तक सिविल न्यायालय द्वारा तय नहीं हो जाता तब तक गोदनामा के बाबत का वाद अदालत श्रीमान को सुनने योग्य नहीं है। यदि वादी चाहे तो गोदनामा को सिविल न्यायालय से घोषित करा सकते है। जिस हेतु वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने नजीर–आरआरटी 2016 पेज 622 छोटूराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंव अदर्स की पेश की जिसमे मुताबिक माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गोदनामा का क्षेत्राधिकार सिलिव कोर्ट का है ना कि राजस्व न्यायालय का है इसलिए क्षेत्राधिकार से बाहर होकर काबिल खारिज है एवं प्रार्थना पत्र के. जि0न0 3 वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने दलील दी कि आप श्रीमान न्यायालय में ही पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 1045/97 रामचन्द्र बनाम गुलाब ने उक्त स्वयं वादी रामसिंह ने 1 हल्फनामा पेश किया था जिसमें रामसिंह ने जिरह में भी स्पष्ट कहा था कि जमीन साढे 14 बीघा के आस पास है। जिसमें 6 खेत रामचन्द्र ही जोतता है। ख0न0 1220, 1221, 1230 का 1/2 भाग व ख0न0 1322, 1246, 1307, 1306 शालिम शुरू से ही मेरे पिता लालाराम के खाते में हो, वो गलत है। जिस सबंध में प्रस्तुत वकील प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात यथा शपथ पत्र रामसिंह पुत्र लालाराम एवं नकल बैयनामा दिनांक 17.12.1988 द्वारा रामचन्द्र पि0मु0 किशनसहाय के द्वारा ख0न0 1306, 1309 के रकबे का 1/2 भाग का बेचान रामसिंह, गुलाब, घडसीराम पि0 लालाराम जाति जाटान निवासी जाट बहरोड को किया गया था। इसलिए भी इंतकाल संख्या 537 वादी के अधिकारों के खिलाफ नहीं है और ना ही कोई वाद हेतुक वादी को अब पैदा होता है। यदि इंतकाल संख्या 537 वादी के अधिकारों के खिलाफ रहा है तो वादी को इंतकाल संख्या 537 की अपील करनी चाहिए थी इस प्रकार भी वादी का वाद चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारिज है। ठीक इसी प्रकार वकील वादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के जिमनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित ख0न0 वाद के जि0न0 1 में अंकित ख0न0 के बाबत का है एवं पक्षकारान एक ही परिवार के है इनको विरासत में मिली आराजी है। जिसके बाबत वादपत्र में सजरे अनुसार दर्शाया गया है। हरभजन के किशनसहाय व रामसहाय को प्रत्येक की हिस्सा 1/2 – 1/2 भूमि है। गलत तरीके से गोदनामा के आधार पर ग्राम पंचायत ने इंतकाल संख्या 537 दर्ज किया है का निवेदन करते हुए वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन उपरांत आराजी के बाबत दावा संख्या 1066/97 श्रीमान न्यायालय में ही गुलाब बनाम रामचन्द्र वगै0 प्रस्तुत होकर दिनांक 1.10.2001 को खारिज फरमाया जा चुका है। जिसमें विवादित भूमि व वादी, प्रतिवादीगण एक ही थे। इसलिए उक्तानुसार बार–बार दावा लाने का वादी अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

नहीं है एवं वाद केवल गोदनामा से संबंधित विवाद है तथा गोदनामा के बाबत जब तक सिविल न्यायालय द्वारा तय नहीं हो जाता तब तक गोदनामा के बाबत का वाद अदालत श्रीमान को सुनने योग्य नहीं है। यदि वादी चाहे तो गोदनामा को सिविल न्यायालय से घोषित करा सकते है। जिस हेतु वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने नजीर–आरआरटी 2016 पेज 622 छोटूराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंव अदर्स की पेश की जिसमे मुताबिक माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गोदनामा का क्षेत्राधिकार सिलिव कोर्ट का है ना कि राजस्व न्यायालय का है तथा पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 1045/97 रामचन्द्र बनाम गुलाब ने उक्त स्वयं वादी रामसिंह ने 1 हल्फनामा पेश किया था जिसमें रामसिंह ने जिरह में भी स्पष्ट कहा था कि जमीन साढे 14 बीघा के आस पास है। जिसमें 6 खेत रामचन्द्र ही जोतता है। ख0न0 1220, 1221, 1230 का 1/2 भाग व ख0न0 1322, 1246, 1307, 1306 शालिम शुरू से ही मेरे पिता लालाराम के खाते में हो, वो गलत है। जिस सबंध में प्रस्तुत वकील प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात यथा शपथ पत्र रामसिंह पुत्र लालाराम एवं नकल बैयनामा दिनांक 17.12.1988 द्वारा रामचन्द्र पि0मु0 किशनसहाय के द्वारा ख0न0 1306, 1309 के रकबे का 1/2 भाग का बेचान रामसिंह, गुलाब, घडसीराम पि0 लालाराम जाति जाटान निवासी जाट बहरोड को किया गया था जिसके बाबत का नामांतकरण संख्या 265 जो दिनांक 07.11.1989 को स्वीकार भी हो चुका है। इसलिए भी इंतकाल संख्या 537 वादी के अधिकारों के खिलाफ नहीं है और ना ही कोई वाद हेतु वादी को अब पैदा होता है। यदि इंतकाल संख्या 537 वादी के अधिकारों के खिलाफ रहा है तो वादी को इंतकाल संख्या 537 की अपील करनी चाहिए थी इस प्रकार भी वादी का वाद चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारिज है के उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–::आदेश::–

अतः यह न्यायालय प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी द्वारा आराजी ख0न0 1220, 1221, 1230, 1240, 1305, 1307, 1312, 1322, 1330, 1334, 1339 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर के 1/2 भाग के बाबत प्रस्तुत वादी के वाद को खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner